न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी – ललित कुमार गुप्ता, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 316/2017

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. मृतक भोप सिंह पुत्र जैसिह के कायम मुकामानः–– 1/1 श्रीमती उसम कंवर बेवा भोपसिंह 1/2 लखेसिंह 1/3 भैरूसिंह 1/4 कल्याणसिंह 1/5 सुमेरसिंह 1/6 इन्द्रा कंवर वारिसान श्री भोपसिंह 2. शम्भूसिंह पुत्र जैसिंह 3. भीकसिंह पुत्र जैसिंह निवासीगणः–– दी गांव, तहसील व जिला जालोर।		1. श्रीमती सकू कंवर पुत्री करणसिंह निवासी– सियाणा, जालोर 2. मेतीसिंह पुत्र करणसिंह निवासी– दीगांव, तहसील जालोर। 3. सरपंच, ग्राम पंचायत दीगांव, तहसील व जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.2015 जो कि उपखण्ड अधिकारी, जालोर द्वारा अपील संख्या 07/2011 बअनुवान सकू कंवर बनाम भोपसिंह में पारित किया।

राजस्व अपील संख्या 331/2017

अपीलान्टस	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1. मृतक भोप सिंह पुत्र जैसिह के कायम मुकामानः–– 1/1 श्रीमती उसम कंवर बेवा भोपसिंह 1/2 लखेसिंह 1/3 भैरूसिंह 1/4 कल्याणसिंह 1/5 सुमेरसिंह 1/6 इन्द्रा कंवर वारिसान श्री भोपसिंह 2. शम्भूसिंह पुत्र जैसिंह 3. भीकसिंह पुत्र जैसिंह निवासीगणः–– दीगांव, तहसील व जिला जालोर।		1. श्रीमती सकू कंवर पुत्री करणसिंह निवासी– सियाणा, जालोर 2. मेतीसिंह पुत्र करणसिंह निवासी– दीगांव, तहसील जालोर। 3. सरपंच, ग्राम पंचायत दीगांव, तहसील व जिला जालोर।

राजस्व अपील संख्या 316/17 एवं 331/17 भोपसिंह वगैराह बनाम सकूकंवर वगैराह

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 10.06.2015 जो कि उपखण्ड अधिकारी, जालोर द्वारा अपील संख्या 06/2011 बअनुवान सकू कंवर बनाम भोपसिंह में पारित किया।

उपस्थितिः–

1. श्री चैनसिंह राजपुरोहित, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से उपस्थित।
2. श्री आर0के0 राठी, रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित
3. शेष रेस्पोडेन्टस बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 21 अगस्त, 2018

उपरोक्त दोनों अपील प्रकरणों में पक्षकारान एवं विषय वस्तु एवं विचारणीय तथ्य एक समान होने से दोनों अपीलों का निर्णय संयुक्त रूप से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक मूल प्रति प्रत्येक अपील के संलग्न रखी जावें।

अपीलान्टस के द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम दीगांव तहसील जालोर के खेत खसरा संख्या 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730 कुल रकबा 6.77 हैक्टर भूमि आई हुई थी। जिसके पूर्व खसरा नम्बर 223, 224 एवं 225 है। उक्त खेत खसरान की कृषि भूमि पूर्व में पक्षकारान के दादा अजीतसिंह पुत्र तगसिंह के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज थी। अजीतसिंह की मृत्यु पश्चात वर्तमान अपीलान्टस के पिता जैसिंह के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 72 दिनांक 14.8.1971 को भर कर स्वीकृत कर दिया गया।

इसी प्रकार अन्य खेत खसरान संख्या 177, 184, 217, 218 कुल रकबा 3.04 हैक्टर भूमि आई हुई थी जिसके पूर्व खेत खसरा संख्या 74 मीन, 74 मीन, 97 मीन, 97 मीन, 97 मीन थे। उक्त खसरान भूमि पूर्व में अपीलान्टस व रेस्पो0 के दादा अजीतसिंह पुत्र तगसिंह के नाम से आई हुई थी। अपीलान्टस एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 सगे भाई है। अजीतसिंह की मृत्यु पश्चात वर्तमान अपीलान्टस के पिता जैसिंह के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 24.08.1960 को भर कर स्वीकृत कर दिया गया।

उक्त स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 72 एवं 17 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो संख्या 1 व 2 के द्वारा दो अलग– अलग प्रथम राजस्व अपीलें उपखण्ड अधिकारी जालोर के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा निवेदन किया कि उनके पूर्वज अजीतसिंह के वारिसान की हैसियत से करणसिंह व जैसिंह के नाम उत्तराधिकारी के रूप में नामान्तरकरण में आने चाहिये थो लेकिन ग्राम पंचायत दीगांव के द्वारा अजीतसिंह व करणसिंह के समस्त वारिसान की बिना किसी जॉच पडताल के ही नामा0 स्वीकृत कर दिया जो नियम विरूद्ध स्वीकृत होने से निरस्त किया जावें जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई किये जाने के उपरान्त अपने आदेश दिनांक 10.06.2015 के द्वारा दोनों अपीलों को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 72 एवं 17 पर पारित आदेश को निरस्त करते हुए तहसीलदार जालोर के इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित कर दिया कि वे मृतक अजीतसिंह व करणसिंह के जायज वारिसान की जॉच कर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण पारित करे।

विद्वान उपखण्ड अधिकारी जालोर के द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपीलान्टस के द्वारा द्वितीय राजस्व अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं। जिस पर दोनों पक्षकारान की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ताओं के द्वारा की बहस को सुना गया।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानूनी दृष्टि से त्रृटिपूर्ण है क्योंकि उनके समक्ष प्रस्तुत हुए तथा उपलक्ष्य साक्ष्यों व सामग्री को न तो सही ढंग से समझा गया और न पढा गया था ऐसें में उपलब्ध सामग्री के विपरित जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई यह भी निवेदन किया कि रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत की गई प्रथम अपील पूर्ण रूप से म्याद बाहर थी क्योंकि अपीलाधीन नामा0 संख्या 72 दिनांक 14.8.1971 एवं नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 24.08.1960 को स्वीकृत किया गया था, जिसके स्वीकृत होने के लम्बे समय यानि 40 से 50 वर्ष उपरान्त चुनौती प्रस्तुत की गई थी। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस की माता को भी प्रथम अपील में पक्षकार बनाया गया था जबकी उनकी पूर्व में ही मृत्यु हो गई थी ऐसे में पक्षकार बनाया जाना भी गलत था। ऐसे में प्रथम अपील पूर्ण रूप से म्याद होने से खारिज किये जाने योग्य थी। रेस्पो0 संख्या एक व दो आपस में भाई बहन है जिन्होंने आपस में संधि करते हुए प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें मोतीसिंह को आवश्यक पक्षकार ही नहीं बनाया था।

राजस्व अपील संख्या 316/17 एवं 331/17 भोपसिंह वगैराह बनाम सकूकंवर वगैराह

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रथम अपील को लोक अदालत के नाम पर दीगांव कैम्प में ले जाकर स्वीकार की गई है, जहॉ पर रेस्पोडेन्टस की ओर से कोई उपस्थित नहीं था, अपीलीय अधिकारी की ओर से मात्र अपीलान्टस के अंगूठे करवाकर निर्णय पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त कृषि भूमि में पुत्रियों को विरासत का अधिकार वर्ष 2005 में हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के बाद लागू किया गया है न कि उससे पूर्व में हुए बंटवाडा इत्यादि पर।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने दौरान सुनवाई यह निवेदन किया कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिये बिना तथा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना ही किसी प्रकार का निर्णय नहीं करना चाहिये जबकि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त रेस्पो0 संख्या एक सकू कंवर का विवाद काफी समय पूर्व ही ग्राम सियाणा में हो चुका था तथा वह अपने विवाह उपरान्त अपने पति के साथ ही ग्राम सियाणा मे रहने लग गई थी ऐसे में वादग्रस्त भूमि पर उसका किसी प्रकार से कोई कब्जा काश्त नहीं था, तो उसके द्वारा प्रथम अपील में मनगढंत तथ्य लिखते हुए अपील प्रस्तुत कर अपीलान्टस को ब्लैकमेल करने की दृष्टि से अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया था। जबकि रेस्पो0 संख्या एक को उपरोक्त वाद ग्रस्त भूमि में अपने हक–अधिकार प्राप्त करने हेतु राजस्व वाद दायर कंर अनुतोष प्राप्त करना चाहिये था क्योंकि नामान्तरकरण कार्यवाही एक समरी प्रोसिडिग्स है जिससे किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त न ही हो सकते है और न ही दिये जा सकते है। इन सभी तथ्यो पर गौर किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये लगभग 40–50 पूर्व स्वीकृत किये गये विरासत के नामान्तरकरण को निरस्त करने में भारी भूल की है जिसे नियम विरूद्ध मानते हुए निरस्त किया जावे।

अतः अपीलान्टस की दोनों अपीलों को स्वीकार फरमाया जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशाों दिनांक 10.6.2015 को निरस्त फरमाया जाकर नामा0 संख्या 72 एवं नामा0 संख्या 17 को यथावत बहाल रखा जावें।

रेस्पो0 सं. 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने प्रत्युतर में यह निवेदन किया कि उपरोक्त खेत खसरान की अंकित वादग्रस्त भूमि पूर्व में उनके पूर्वज उनके दादा

अजीत सिंह पुत्र तगसिंह की सहखातेदारी की भूमि थी। अजीतसिंह जी की मृत्यु उपरान्त उनके दो जायन्दा पुत्र अपीलान्टस के पिता एवं रेस्पोडेन्ट के पिता श्री करणसिंह एवं जैसिंह थे। जिनके नाम उत्तराधिकारी के रूप में समान रूप से भूमि हिस्सा होकर फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 72 एवं 17 मे आने चाहिये थें लेकिन ग्राम पंचायत के द्वारा उनके दादाजी के वारिसान की किसी प्रकार की जॉच किये बिना ही केवल मात्र जैसिह यानि अपीलान्ट के पिता के नाम दर्ज करते हुए ग्राम पंचायत के द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्ध व नियमों के विपरित जाकर स्वीकृत किया गया था। जिनकी जानकारी रेस्पोडेन्टस को होने पर उनके द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से अलग–अलग दो प्रथम अपीलें श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, जालोर के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

रेस्पो0 सं. 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि सहखातेदार जैसिंह पुत्र अजीतसिंह की मृत्यु के बाद विरासत नामा0 संख्या 192 दिनांक 2.2.1983 उसके पक्ष में स्वीकृत किया गया है जो नामा0 संख्य 72 स्वीकृत होने के बाद भरा गया था, अपने आप में गैर कानूनी होने से निरस्त करने योग्य था। इसके अलावा रेस्पोडेन्टस को उक्त आराजी का राजस्व रेकर्ड में अपने नाम दर्ज न होने की जानकारी लम्ब समय तक नहीं हो सकी जबकि उक्त खसरान भूमि में उसका भी कब्जा काश्त चला आ रहा था। इस प्रकार की रही त्रृटि की जानकारी होने पर उसके द्वारा अपीलाधीन नामा0 आदेशों की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करते हुए प्रथम अपीले अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई तथा म्याद बिन्दू को कन्डोन करने हेतु भी निवेदन किया।

रेस्पो0 सं. 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि किसी भी नियम विरूद्ध पारित किये गये आदेश के विरूद्ध चुनौती प्रस्तुत करने हेतु किसी प्रकार की समय की बाध्यता आडे नहीं आती है तथा तथाकथित आदेश की जानकारी जिस समय हो, उसी समय से म्याद सीमा लागू होती है। इसके अतिरिक्त किसी भी खातेदार के देहान्त हो जाने के उपरान्त उसके फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करने से पूर्व उसके सभी वारिसान की जॉच और उन्हें सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त ही नियमानुसार समान रूप से हक–हिस्सा अंकित करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये। जबकि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के स्वीकृत किये गये दोनों नामा0 संख्या 72 एवं 17 को स्वीकृत किये जाने से पूर्व ऐसी कोई कार्यवाही सम्पादित नहीं की गई थी। अधीनस्थ

न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 की ओर से प्रस्तुत किये गये इन्हीं आधारों पर अपीलों को स्वीकार करते हुए नामा0 संख्या 72 एवं 17 को निरस्त करते हुए मृतक खातेदार की जॉच कर नये सिरे से नामा0 स्वीकृत किये जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये है जो यथावत बहाल रखे जावे तथा अपीलान्टस की अपीलों को खारिज की जावें।

हमने दोनो पक्षों के योग्य अधिवताओं के द्वारा किये गये अभिकथनों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया ग्राम दीगांव तहसील जालोर के खेत खसरा संख्या 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730 कुल रकबा 6.77 हैक्टर भूमि आई हुई थी। जिसके पूर्व खसरा नम्बर 223, 224 एवं 225 है। उक्त खेत खसरान की कृषि भूमि पूर्व में पक्षकारान के दादा अजीतसिंह पुत्र तगसिंह के नाम 1/6 हिस्सा दर्ज थी। अजीतसिंह की मृत्यु पश्चात वर्तमान अपीलान्टस के पिता जैसिंह के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 72 दिनांक 14.8.1971 को स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार अन्य खेत खसरान संख्या 177, 184, 217, 218 कुल रकबा 3.04 हैक्टर भूमि आई हुई थी जिसके पूर्व खेत खसरा संख्या 74 मीन, 74 मीन, 97 मीन, 97 मीन, 97 मीन थे। उक्त खसरान भूमि पूर्व में अपीलान्टस व रेस्पो0 के दादा अजीतसिंह पुत्र तगसिंह के नाम से आई हुई थी। अपीलान्टस एवं रेस्पो0 संख्या 1 व 2 सगे भाई है। अजीतसिंह की मृत्यु पश्चात वर्तमान अपीलान्टस के पिता जैसिंह के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 24.08.1960 को भर कर स्वीकृत किया गया है।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत किसी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर उनके समस्त वारिसान की जॉच कर, उन्हें अपना पक्ष रखने तथा सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त समान रूप से सभी वारिसान का नाम फौतेदगी नामा0 में दर्ज करते हुए ही नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना चाहिये जबकि अपीलाधीन दोनों नामा0 संख्या क्रमशः 72 एवं 17 को ग्राम पंचायत के द्वारा स्वीकृत किये जाने से पूर्व ऐसी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाना प्रतीत होता है तथा सहखातेदार अजीतसिंह के दो जायन्दा पुत्र जैसिंह एवं करणसिह होने के बावजूद एक ही पुत्र जैसिंह के नाम से एकपक्षीय रूप से फौतेदगी नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया है जिसे विधि अनुकूल उचित नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त विवादित आदेश को, जो कि प्रारम्भ से ही शून्यता की श्रेणी में आता है, उसे किसी भी स्तर पर चुनौती दी जा सकती है। विद्वान उपखण्ड अधिकारी जालोर के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश के द्वारा अपीलाधीन नामा0 संख 72 एवं 17 को निरस्त

करते हुए वादग्रस्त खेत खसरान भूमि के मृतक खातेदार के जायज वारिसान की जॉच कर नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण पारित करने के जो आदेश पारित किये गये है वह उचित प्रतीत होते है। जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपीलान्टस की दोनों अपीले स्वीकार योग्य नही होने से खारीज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, जालोर के द्वारा अपील संख्या क्रमशः 79/105 एवं 80/2015 मे पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.06.2015 को यथावत बहाल रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21 अगस्त, 2018 को सरे इजलास सुनाया गया।